1	2
20. Arunachal Pradesh . .	1
21. Chandigarh . . .	3
22. Delhi	31
23. Goa Daman Diu . .	6
	556

Waiting List of Telephones in Uttar Pradesh

483. MR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of applications for telephone connections pending in Uttar Pradesh as on January 31, 1986;

(b) the category-wise and exchange-wise position of those pending applications on the date mentioned in part (a) above; and

(c) the number of such applications pending in UP for more than two years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) The number of applications for telephone connections pending in Uttar Pradesh as on January 31, 1986 is 39,525.

(b) There are as many as 865 telephone exchanges in Uttar Pradesh as on 31-1-1986. It is not feasible to give exchange-wise waiting list. However, category-wise waiting list for major cities in Uttar Pradesh is given below:—

City	OYT	Non-OYT	Total
Agra	87	3,822	3,709
Allahabad	186	1,717	1,903
Kanpur	239	6,904	7,143
Lucknow	508	2,917	3,425
Varanasi	102	3,047	3,149
U.P. Telecom. Circle	922	19,274	20.196
TOTAL . . .	2,044	37,481	39,525

(c) There are 11745 applications pending in U.P. for more than tyo years excluding Allahabad.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डाकघर

484. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा० बापू कालदाते :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुल डाक-घरों में से 99 प्रतिशत डाक-घर विभागेतर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे 99 प्रतिशत डाकघर पूर्ण डाक-घर हैं यदि हां; तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच इस विभेद के क्या कारण हैं तथा सरकार इस विभेद को किस तरह से दूर करने का विचार रखती है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि शहरी क्षेत्रों में कार्यरत डाक-बाबुओं को पूरा वेतन तथा अन्य सुविधाएं मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेतर डाक-घरों में कार्यरत डाक-बाबुओं को उनके वेतन के नाम पर 100 रु० से 200 रु० तक का जेब-खर्च मिलता है, यदि हां तो इस असमानता को कब तक दूर कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में 90.6 प्रतिशत अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं और शहरी क्षेत्रों के डाकघरों में 85.25 प्रतिशत विभागीय डाकघर हैं। स्पष्टतः ग्रामीण क्षेत्रों में एक डाकघर में पूर्णकालिक डाक सहायक को रोजगार देने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं होता है। अतः ऐसे मामलों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रतिदिन तीन से पांच घंटे काम करने के लिए पोस्ट मास्टर के बतौर नियुक्त किया जाता है। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का विभागीय डाकघरों में दर्जा बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि दर्जा बढ़ाने से संबंधित कार्यभार और हानि के बारे में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। फिर भी, शहरी क्षेत्रों में पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारी नियुक्त करने के लिए पर्याप्त डाक परिमाप होता है। अतः शहरी क्षेत्रों में केवल सीमित संख्या में ही अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोले जाते हैं। चूंकि मौजूदा प्रणाली कार्यभार के साथ संस्थापन आनुपातिक के व्यावहारिक पहलुओं पर आधारित है। अतः किसी प्रकार की अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंट अंशकालिक कर्मचारी होते हैं जिनका कार्यभारत प्रतिदिन दो से पांच घंटे के लिए होता है और विभाग से होने वाली आय के अतिरिक्त वे अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं परन्तु नियमित सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें कार्यभार और कार्य घंटों के आधार पर मासिक एक-मुश्त भत्ते दिये जाते हैं जिसकी अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पारिश्रमिक में प्रतिवर्ष संशोधन किया जाता है। 1-9-85 से किये गये संशोधन के अनुसार अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टर प्रति माह 270 रुपए से 333 रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक पाता है तथा शाखा पोस्ट मास्टर प्रति माह 187 रुपये से 235 रुपए पारिश्रमिक पाता है। इसके अतिरिक्त ई.डी.एस.पी.एम. और ई.डी.बी.पी.एम. को 1-12-84 से क्रमशः 40 रुपए और 30 रुपए प्रतिमाह अन्तरिम भत्ता दिया जाता है और इसके अतिरिक्त एक सदस्यीय समिति अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतनमानों पर विचार कर रही है।

Cases settled by Lok Adalats

485. SHRI ASHWANI KUMAR:
SHRI S. W. DHABE:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) how many cases have been settled in the Lok Adalats by the Legal Aid Committee working under the guidance of the Chief Justice of India during the last two years in Maharashtra, Gujarat and Delhi;

(b) whether any enforcement machinery is provided for the implementation of the decisions taken by the Lok Adalats; and

(c) the total expenditure incurred for holding the sittings of the Lok Adalats during the last two years in Maharashtra, Gujarat and Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) According to the information furnished by the Committee for Implementing Legal Aid Schemes:—

Number of cases settled in Lok Adalats during the last two years in Maharashtra, Gujarat and Delhi are furnished below:—

	1984	1985
(i) Maharashtra	1709	325
(ii) Gujarat	4363	3789
(iii) Delhi	Nil	326

(b) Lok Adalats are voluntary agencies. There is no enforcement machinery for implementing the decisions (settlements) of Lok Adalats, which are arriv-